न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 06/2019 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

सीताराम मीणा पुत्र श्री रामेश्वर मीणा, वार्ड पंच वार्ड नं.2, ग्राम घाटा, पोस्ट–बैनाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर 303012।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, बस्सी) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 26.06.2019

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 18.04.2019 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बस्सी के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 31.05.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, बस्सी) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट स्वयं उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मीमो का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट ने अभी तक मुताबिक आवेदन पत्र सूचना नही मिलने का कथन किया।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2019 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि कार्यालय में संधारित है तो अपीलांट को निःशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर